क्रम संख्या–99 (ख)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025 ई0

भाद्रपद 28, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग–3

संख्या– 1829 / X–3–25 / 01(202) / 2020 / E-86160

देहरादूनः दिनांकः 19 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0 आ0–70

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकासखण्ड बेतालघाट के अंतर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित 01.71 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ङ (अन्य कारणों से बंजर भूमि) की 03.420 है0 भूमि, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	खाता संख्या / खसरा न0	कुल क्षेत्रफल	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नैनीताल	छीमी मटेला	52 / 1324 52 / 1372 52 / 1375	09.075	03.420	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ
			योग–		03.420	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

आज्ञा से,

सत्यप्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **1829/X-3-25/01(202)/2020-E-86160,** Dehradun dated September 19, 2025 for general information:

File No. 1829/X-3-25/01(202)/2020-E-86160

Dehradun Dated, September 19, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)anga land (for other agricultural use barren land) total 03.420 hectare as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Nainital to the forest department for compensatory plantation against the 01.71 hectare Reserve Forest land transferred repectively for the construction of motor road from **Pogkatara to Khalad** in District Nainital, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No.	District	village	Khata No./Khasra No.	Total area	Area acquired for C.A (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	Nainital	Chhimi Matela	52/1324 52/1372 52/1375	09.075	03.420	Category-9(3)anga
			Total:-		**03.420**	

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

By Order,

SATYAPRAKASH SINGH,
Joint Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15/वन पर्या0/473–2025–100+25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।